मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-10.12.2014 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बैठक में लंबित CWJC/MJC मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के मामले में पाँच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभागों पर चर्चा किया गया। इनमें खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं जल संसाधन विभाग शामिल है। इनके कार्यों की मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सराहना किया गया।

3. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा प्रतिशपथ-पत्र/कारण पृच्छा दायर करने के मामले में पाँच संतोषजनक प्रदर्शन नही करने वाले विभागों पर भी चर्चा किया गया। इनमें ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग शामिल है। इन विभागों को लंबित मामलों में शीघ्रतापूर्वक प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दायर करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से लंबित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र/ कारण पृच्छा दायर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया।

4. मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा बैठक में इस बात पर भी चर्चा किया गया कि मुख्य रूप से कुछ विभागों में लम्बित मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन विभागों में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि शामिल हैं। ये विभाग अगर प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने हेतु विशेष ध्यान दें तो लम्बित मामलों की संख्या में अत्याधिक कमी लायी जा सकती है।

5. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निर्देश दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र बनाने हेतु एक बार महानिबंधक उच्च न्यायालय, पटना से सम्पर्क स्थापित करें। जिसके पश्चात निश्चित कालावधि के लिए प्रवेश पत्र निर्गत किया जा सकता है।

6. स्वास्थ्य विभाग में अवमाननावाद के 165 एवं CWJC के 1663 मामले लंबित है। मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा समीक्षा कर लम्बित मामलों में कारणपृच्छा/प्रतिशपथ-पत्र दायर करने का निदेश दिया गया है ताकि लम्बित मामलों की संख्या में कमी जायी जा सके। साथ ही उनके विभाग में कुल लम्बित CWJC/MJC की स्पष्ट संख्या का पता लगाने का निर्देश/आदेश दिया गया।

7. शिक्षा विभाग में अवमाननावाद के 75 तथा CWJC के 1407 मामले लंबित है। कारणपृच्छा/प्रतिशपथ-पत्र करने के प्रति शिक्षा विभाग का प्रदर्शन अच्छा रहने पर मुख्य

सचिव, बिहार द्वारा उनके कार्यों की सराहना किया गया तथा शेष लम्बित मामलों में भी शीघ्र कारणपृच्छा/प्रतिशपथ-पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

ह0/-अंजनी कुमार सिंह
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/.....जे0 पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-अखिलेश कुमार जैन
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/9564 जे0 पटना, दिनांक-31-12-14

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/12

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।